

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-1)/2018/

दिनांक :

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 41 के तहत वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 14(1)एफ.डी/(रूल्स)2013-11 दिनांक 28.06.13 की अनुपालना में श्री अंशुल कुमार यादव, कनिष्ठ सहायक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 09.11.2015 है तथा दिनांक 09.11.2017 को दो वर्ष की परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण करली है तथा कार्मिक द्वारा दिनांक 05.02.2016 को आरएससीआईटी एवं दिनांक 25.01.2017 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करली है को परिवीक्षाकाल अवधि पूर्ण दिनांक 09.11.2017 से 20800(लेवल-5) वेतन नियतन करते हुए एतद द्वारा स्थाई किया जाता है।

57
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राज0 जयपुर

दिनांक : 01/06/18

क्रमांक :- ई-18/एम/(परिवीक्षा-11)/2018/1090

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाईमाधोपुर।
2. श्री अंशुल कुमार यादव, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
4. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर